भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1164
बुधवार, 13 फरवरी, 2019/24 माघ, 1940 (शक)

महिलाओं की नौकरियों का चला जाना

1164. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
श्रीमती छाया वर्माः
श्री नीरज शेखरः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 के दौरान 8.8 मिलियन महिलाओं की नौकरियां चली गईं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में ग्रामीण क्षेत्र में 9.1 मिलियन नौकरियां समाप्त हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): सेंटर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकानॉमी (सीएमआईई) जो एक निजी संस्था है, से संबंधित आंकड़े तथा इसके लिए उनके द्वारा डिजाईन किए गए सर्वेक्षण एवं अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में सरकार अवगत नहीं है। अतः उनके सर्वेक्षण के परिणामों की सच्चाई का प्रति-परीक्षण करना संभव नहीं है। नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार इस दिशा में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए देश में रोजगार सेवाओं के रूपांतरण हेतु महिलाओं सहित रोजगार चाहने वालों के लिए और-अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु राष्ट्रीय आजीविका सेवा परियोजना (एनसीएसपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 04.02.2019 तक, इस योजना के अंतर्गत 1.31 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.06 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभांवित किया गया है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में महिलाओं सहित भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

*****